न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 29/2019 (2019/00158)

तारीख दायरा—17.07.2019

तारीख निर्णय—03.02.2021

उनवान

1. श्री महेन्द्रसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा ।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता रामसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा ।
2. श्रीमती गणेश कुवंर पत्नी देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा ।
3. श्री रामसिहं पिता भंवरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा ।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री शिवशंकर जोशी

अप्रार्थी की ओर से— श्री कुशालसिंह राणावत

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी भूमि राजस्व ग्राम रावलीया कलां चक प्रथम पटवार हल्का रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 353 की आराजी संख्या 3744 रकबा 0.8200 तथा आराजी संख्या 3779 रकबा 1.2000 है० स्थित है, जो प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व की होकर प्रार्थी अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 कि खातेदारी भूमि से आता जाता है। विपक्षी की आराजी संख्या 3785 रास्ते की आराजीयात के छोर से लगी होकर प्रार्थी के अपने हिस्से एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के बीच में स्थित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के आने जाने वाले रास्ते को आये दिन बन्द कर देते है जिससे प्रार्थी को कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि प्रार्थी उक्त रास्ते [illegible] से ही उपयोग करता आ रहा है। वादग्रस्त विपक्षी की भुमि से प्रार्थी को [illegible] का आदेश [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीण की तरफ से अधिवक्ता श्री कुशालसिंह राणावत उपस्थित हो प्रकरण में जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र की आराजीयात आंशिक रूप से

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

स्वीकार है, लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करना अस्वीकार है क्योंकी उक्त भूमि कई खातेदारान के नाम से दर्ज होकर कब्जे काश्त है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि है जिसमें विपक्षी की भूमि से कोई भी रास्ता प्रार्थी के आराजीयात भूमि में नही जाता है। आराजी संख्या 3744 एवं 3779 जो की सयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि है, जिसमें तीन तरफ से रास्ते है जो की सदीप से उपयोग में आ रहे है जिससे की प्रार्थी एवं अन्य खातेदार अपनी भूमि में आते जाते है जो की लौहारो की भागल से शमशान एवं खेडा देवी के मन्दिर से एवं खरवडों का गुडा से व मुन्डावतों की भागल से प्रार्थी की कृषि भूमि के रास्ते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने से खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया की प्रार्थी की कृषि भूमि सयुक्त कृषि भूमि है जिसका विधिक विभाजन नही हुआ है एवं अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके बावजूद भी प्रार्थी को विपक्षी के आराजीयात भूमि से रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ता आगे किसी रास्ते से नहीं मिलता है एवं प्रस्तावित रास्ते के आगे भी अन्य खातेदारों की भूमि स्थित है जिन्हे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब तक कोई रास्ता बिलानाम रास्ते से नहीं जुडता है तब तक रास्ते की मांग करना उचित नही है। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई।

हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा रावलीया कलां चक प्रथम पटवार हल्का रावलीया कलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 353 की आराजी संख्या 3744 रकबा 0.8200 तथा आराजी संख्या 3779 रकबा 1.2000 है0 भूमि सयुक्त आराजीयात की भूमि है जिसमें अन्य खातेदार का पक्षकार नहीं बनाया गया है, वादग्रस्त भूमि में आने जाने हेतु जिस रास्ते कि मांग की है वह भी आगे किसी अन्य रास्ते से नहीं मिलता है, विपक्षी के आराजीयात में से रास्ता देने पर भी उससे आगे अन्य खातेदारों की कृषि भूमि आती है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:00 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)